भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2340

दिनांक 03/08/2021/12 श्रावण,1943 (शक) को उत्तर के लिए

मवेशियों की तस्करी

†2340. डॉ. सुकान्त मजूमदार:
डॉ. जयंत कुमार राय:
श्री भोला सिंह:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्री विनोद कुमार सोनकर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले दो वर्षों मे प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत-बांग्लादेश की सीमा पर मवेशियों की तस्करी के मामलों, जब्त किए गए मवेशियों और गिरफ्तार किए गए तस्करों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा भारत-बांग्लादेश सीमा पर पशु बाजारों/हाटों में चल रहे मवेशियों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) भारत-बांग्लादेश सीमा पर अब तक राज्य-वार कितने किलोमीटर क्षेत्र में बाड़ लगाने का कार्य पूरा हो चुका है;

(घ) सीमा के नदी तटवर्ती खंड पर कितने किलोमीटर क्षेत्र में बाड़ लगाने का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है और इस कार्य को पूरा करने की समयसीमा क्या है;

(ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान भारत में घुसे अवैध प्रवासियों की संख्या कितनी है;

(च) क्या भारत-बांग्लादेश सीमा पर लोगों और जानवरों की अवैध आवाजाही में सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिप्त होने की खबरें आई हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ज) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निसिथ प्रामाणिक)

(क): पिछले दो वर्षों के दौरान भारत-बांग्लादेश सीमा पर जब्त किए गए पशुओं और गिरफ्तार किए गए तस्करों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	2019	2020
जब्त किए गए पशुओं की कुल संख्या	77,410	46809
तस्करों की गिरफ्तारी	703	460

(ख): भारत-बांग्लादेश सीमा पर पशुओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए, भारत सरकार ने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सीमाओं पर चौबीसों घंटे निगरानी एवं गश्त तथा निगरानी चौकियों की स्थापना करना; बीएसएफ कार्मिकों की संख्या में वृद्धि करना; सीमा पर बाड़ लगाना और तेज रोशनी की व्यवस्था करना; नदी वाले क्षेत्रों में प्रभुत्व के लिए वॉटर क्राफ्टों/बोटों तथा फ्लोटिंग सीमा चौकियों को इस्तेमाल में लाना, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर (एचएचटीआई), नाइट विजन डिवाइस (एनवीडी), ट्विन टेलीस्कोप, मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) जैसे उच्च प्रौद्योगिकीय उपकरणों की तैनाती करना; आसूचना सेटअप का स्तरोन्नयन करना और राज्य सरकारों/संबंधित आसूचना एजेंसियों के साथ अधिक समन्वय स्थापित करना शामिल हैं।

(ग) और (घ): लगभग 76% भारत-बांग्लादेश सीमा बाड़ से कवर की गई है। भारत-बांग्लादेश सीमा पर लगाई गई बाड़ का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(लम्बाई किमी. में)

राज्य	**अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लम्बाई**	**बाड़ द्वारा कवर की गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा**
पश्चिम बंगाल	2216.70	1638
असम	263.00	210
मेघालय	443.00	326
मिजोरम	318.00	155
त्रिपुरा	856.00	812
कुल	**4096.7**	**3141**

अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शेष लम्बाई को "व्यापक समेकित सीमा प्रबंधन प्रणाली (सीआईबीएमएस)" के रूप में भौतिक बाड़ और प्रौद्योगिकी सॉल्यूशंस द्वारा कवर किया जाएगा।

नदी वाली सीमा, जहां बाड़ लगाना व्यवहार्य नहीं है, को प्रौद्योगिकीय सॉल्यूशंस के द्वारा कवर किया जाएगा। धुबरी, असम में 61 किमी. नदी तट वाली सीमा पर एक पायलट परियोजना कार्यान्वित की गई है। सरकार कार्य की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी कर रही है।

(ङ): सीमा सुरक्षा बल अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए नियमित रूप से गश्त एवं नाके लगाते हैं, सीमा चौकियां स्थापित करता है और सुरंग-रोधी अभ्यास करता है। तथापि, मुख्य रूप से बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कुछ हिस्सों में कठिन नदी तट क्षेत्र, जो भौतिक बाड़ लगाने के अनुकूल नहीं हैं, होने के कारण कुछ अवैध प्रवासी चोरी-छिपे और गुप्त तरीके से प्रवेश करने में सफल हो जाते हैं। पिछले 2 वर्षों के दौरान घुसपैठ का प्रयास करते समय भारत-बांग्लादेश सीमा पर गिरफ्तार किए गए विदेशी नागरिकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	**2019**	**2020**
कुल	1109	955

(च) से (ज): भारत-बांग्लादेश सीमा पर लोगों की अवैध आवाजाही और पशुओं की तस्करी में जब कभी कोई बीएसएफ कार्मिक लिप्त पाया जाता है, तो बीएसएफ द्वारा उसकी जांच की जाती है और नियमानुसार उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। वर्ष 2019 से, 28 बीएसएफ कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी, जिनमें से 22 कार्मिकों को दंडित किया गया है और 6 कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है।

****